न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 109 / 2007

1 जमनाराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति धाबाई (गुर्जर) निवासी घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। दौराने अपील मृत्यु

1/1 फुलचन्द पुत्र स्व. जमनाराम जाति गुर्जर निवासी घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

1/2 संतोष देवी पुत्री स्व. जमनाराम पत्नी चेतराम जाति गुर्जर निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/3 रतनी देवी पुत्री जमनाराम पत्नी राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/4 केदारमल पुत्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी दीनवां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

1/5 रामकरण पुत्र केदारमल व भंवरी देवी

1/6 शुभकरण पुत्र केदारमल व भंवरी देवी

1/7 रघुवीर पुत्र केदारमल व भंवरी देवी

समस्त जाति गुर्जर निवासी दीनवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मुलाराम पुत्र सुरजाराम

2 प्रभाती बेवा जगदीश

3 रमेश पुत्र जगदीश

जाति धाबाई (गुर्जर) निवासीगण घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

4 दयानन्द पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5 शाखा प्रबंधक यूको बैंक मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त. अधि.
1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी मुलाराम
वगै. बनाम जमनाराम वगै. दावा संख्या 55/2004 तारीख
निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2007

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बिरजू सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः–25.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2004 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 276, वाके ग्राम घोड़ीवारा कलां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में करने में गलती की है विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की प्लींडिग से हटकर निर्णय पारित किया है। जमीन जैर बहस को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की शामिल की मानने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के हक हिस्से का दावे में कोई विवाद नहीं किया गया अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की खातेदारी को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने सही माना है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को जमीन अपीलान्ट ने विकय की है जब रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को अपीलान्ट द्वारा विकय किये गये भाग को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा कोई चुनोती नहीं दी गई तो ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को खातेदार मानने में कानूनी गलती की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की यह प्लींडिग है कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कय की थी और उसने प्रतिफल दिया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही काबिज होना प्लीड किया गया है विचारण न्यायालय ने उक्त प्लींडिग को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जिरह में अपनी प्लींडिग से हटकर कथन करता है। विचारण न्यायालय का निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की यह प्लींडिग भी नहीं है कि आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आय से खरीदी गई हो। खसरा गिरदावरी, पटवारी की रिपोर्ट, पंच फैसला इत्यादि को कानून से खातेदारी को आधार नहीं माना जा सकता। विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। तनकी संख्या 2 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में करने में कानूनी गलती की है। आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा नहीं है। कब्जे के अभवा में स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तनकी संख्या 4 व 5 का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध करने में कानूनी गलती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की गई है विवादित आराजी का अपीलान्ट टिनेन्ट है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी को स्वयं की आय से क्रय किया है अपीलान्ट ने अपनी टिनेन्सी राजस्व रिकार्ड से साबित की है। तनकी संख्या 6 का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध करने में कानूनी गलती की गई है अपीलान्ट ने काउंटर क्लेम के लिए वाद कारण दर्ज किया है तनकी संख्या 6 के संबंध में विचारण न्यायालय ने कोई व्याख्या नहीं की है। विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के मुताबिक प्रत्येक तनकी पर निर्णय व्याख्या सहित पारित नहीं कर कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2001 पेज 239, आरआरडी 2000 पेज 95, आरआरटी 2011(1) पेज 436 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि इस मामले में दयालचंद वल्द रामलाल के हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। विवाद केवल वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के संबंध में ही है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 जमनाराम विवादित भूमि खसरा नम्बर 276 में 2.29 हैक्टेयर अकेले स्वयं की बता रहा है। और राजस्व रिकार्ड भी इसकी ताईद करता है। इस संबंध में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी ग्राम घोडीवारा कलां संवत 2031 से 2034 भी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें खसरा नम्बर 16 में गत खसरा नम्बर 178 रकबा 13 बीधा 7 बिश्वा में काश्त मूलजी जगदीश पिता सुरजाराम 9 बीघा 1 बिश्वा दयाचन्द 4 बीघा 6 बिश्वा काश्त करना प्रमाणित है। उक्तानुसार संवत 2032 में गत वर्षानुसार व संवत 2033 में खुद काश्त होना दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण ने काश्त की है। वादीगण अपने वाद में भी इस बात का कथन किया है कि यह भूमि हमने शामलाती तीनों भाईयों ने खरीदी थी। परनतु प्रतिवादी संख्या 1 जमनाराम हमारे तीनों भाईयों में सबसे बड़ा था तथा पिताजी की मृत्यु के बाद घर का कर्ता खानदान बड़ा भाई जमनाराम ही था। और घर में जो भी कार्य किया जाता वह जमनाराम ही करता था। वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

मूलाराम, जगदीश की शादी भी कर्ताखानदान की हैसियत से जमनाराम ने की थी। वादीगण अपने पक्ष में बयान स्वयं के अलावा रमेश पुत्र ज्वाला प्रसाद नाई, पेपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, इदूखां पुत्र दिनेस्याह के बयान अपने पक्ष में करवाये है। जिनमें सभी अपने बयानों में यही कथन कर रहे है कि भूमि तीनों भाईयों ने शामलाती रूप से खरीदी थी परन्तु जमनाराम कर्ता खानदान व बड़ा होने की वजह से विक्रय पत्र उनके नाम से दर्ज करवाये थे जिसकी ताईद काश्त करने की ताईद खसरा गिरदावरी से भी हो रही है। वादीगण द्वारा लगान संवत 2017 व 2025 का अदा किया था उसकी मूल रसीदे भी पेश की हुई है जिस पर मूलाराम के हस्ताक्षर है दिनांक 29.06.2006 को पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट भी की हुई है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजूद है में बिन्दू संख्या 2 में यह अंकित किया हुआ है कि मौके पर मूलाराम पुत्र सुरजाराम रमेश पुत्र जगदीश विवादित खसरा नम्बर के मध्य में अस्थाई टीन शैड डालकर कब्जा कर रखा है। बिन्दु संख्या 5 में यह भी अंकन किया है कि दोनों पक्ष पहले से काश्त कर रहे है। प्रस्तूत खसरा गिरदावरी में तीनों के नाम से काश्त दर्ज होना, मूल विक्रय पत्र भी वादीगण के पास होना व प्रस्तुत करना, पंच फैसला तथा मौका रिपोर्ट पटवारी से यही सिद्ध होता है कि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में दयालचंद वल्द रामलाल के हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। विवाद केवल वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के संबंध में ही है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 जमनाराम विवादित भूमि खसरा नम्बर 276 में 2.29 हैक्टेयर अकेले स्वयं की बता रहा है। और राजस्व रिकार्ड भी इसकी ताईद करता है। इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

संबंध में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी ग्राम घोडीवारा कलां संवत 2031 से 2034 भी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें खसरा नम्बर 16 में गत खसरा नम्बर 178 रकबा 13 बीधा 7 बिश्वा में काश्त मूलजी जगदीश पिता सुरजाराम 9 बीघा 1 बिश्वा दयांचन्द 4 बीघा 6 बिश्वा काश्त करना प्रमाणित है। उक्तानुसार संवत 2032 में गत वर्षानुसार व संवत 2033 में खुद काश्त होना दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण ने काश्त की है। वादीगण अपने वाद में भी इस बात का कथन किया है कि यह भूमि हमने शामलाती तीनों भाईयों ने खरीदी थी। परनतु प्रतिवादी संख्या 1 जमनाराम हमारे तीनों भाईयों में सबसे बड़ा था तथा पिताजी की मृत्यु के बाद घर का कर्ता खानदान बड़ा भाई जमनाराम ही था। और घर में जो भी कार्य किया जाता वह जमनाराम ही करता था। वादी मूलाराम, जगदीश की शादी भी कर्ताखानदान की हैसियत से जमनाराम ने की थी। वादीगण अपने पक्ष में बयान स्वयं के अलावा रमेश पुत्र ज्वाला प्रसाद नाई, पेपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, इदूखां पुत्र दिनेस्याह के बयान अपने पक्ष में करवाये है। जिनमें सभी अपने बयानों में यही कथन कर रहे है कि भूमि तीनों भाईयों ने शामलाती रूप से खरीदी थी परन्तु जमनाराम कर्ता खानदान व बड़ा होने की वजह से विक्रय पत्र उनके नाम से दर्ज करवाये थे जिसकी ताईद काश्त करने की ताईद खसरा गिरदावरी से भी हो रही है। वादीगण द्वारा लगान संवत 2017 व 2025 का अदा किया था उसकी मूल रसीदे भी पेश की हुई है जिस पर मूलाराम के हस्ताक्षर है दिनांक 29.06.2006 को पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट भी की हुई है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजूद है में बिन्दू संख्या 2 में यह अंकित किया हुआ है कि मौके पर मूलाराम पुत्र सुरजाराम रमेश पुत्र जगदीश विवादित खसरा नम्बर के मध्य में अस्थाई टीन शैड डालकर कब्जा कर रखा है। बिन्दु संख्या 5 में यह भी अंकन किया है कि दोनों पक्ष पहले से काश्त कर रहे है। प्रस्तूत खसरा गिरदावरी में तीनों के नाम से काश्त दर्ज होना, मूल विक्रय पत्र भी वादीगण के पास होना व प्रस्तुत करना, पंच फैसला तथा मौका रिपोर्ट पटवारी से यही सिद्ध होता है कि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर